न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **12/2022** दायर दिनाँक **01.06.2022**

प्रार्थी

1. तहसीलदार मौलासर

अप्रार्थी

1. केसा पुत्र गुमाना जाट
2. चूना पुत्र गुमाना जाट
3. ज्ञानी देवी पत्नी गोविन्दराम जाट
4. बाली देवी पत्नी लादूराम जाट
5. महेश कुमार पुत्र लादूराम जाट
6. मोहनराम पुत्र गोविन्दराम जाट
7. रूपाराम पुत्र सुखाराम जाट
8. रविशंकर पुत्र लादूराम जाट
9. सरला पुत्री लादूराम जाट
10. हेमा पुत्र गुमाना जाट
11. गीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाट
12. चन्द्री पत्न देवाराम जाट
13. पतासी देवी पत्नी रामेश्वरराम जाट
14. पेमाराम पुत्र देवाराम जाट
15. बिरदाराम पुत्र देवाराम जाट
16. भंवरलाल पुत्र मोहनाराम जाट
17. केशर पत्नी हेमा जाट
18. मोहनीदेवी पत्नी चूनाराम जाट
    1. रामूराम पुत्र चुनाराम
    2. भागीरथ राम पुत्र चूनाराम
    3. ओम प्रकाश पुत्र चूनाराम
    4. राजूदेवी पत्नी रामनिवास गोदारा
19. रामनिवास पुत्र हेमा जाट
20. रामेश्वरलाल पुत्र हेमा जाट
21. लच्छाराम पुत्र देवाराम जाट
22. दलाराम पुत्र पाबूराम मेघवाल
23. देवाराम पुत्र बालूराम बावरी
24. बिरजू पुत्र बालूराम बावरी
    1. राजू देवी पत्नी बिरजू
    2. मनोज कुमार पुत्र बिरजू
    3. आनन्दी कुमारी पुत्री बिरजू
    4. सुशिला देवी पुत्री बिरजू पत्नी बाबुलाल बावरी
    5. शारदा देवी पुत्री बिरजू पत्नी भागीरथ बावरी
    6. सुनिता देवी पुत्री बिरजू पत्नी शिवराज बावरी

बनाम्

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

25. भंवरी देवी पत्नी बालूराम बावरी
26. लिखमाराम पुत्र बालूराम बावरी
    1. बिमला देवी पत्नी लिखमाराम
    2. राजेश पुत्र लिखमाराम
    3. मनोहर पुत्र लिखमाराम
    4. सुमन देवी पुत्री लिखमाराम पत्नी लिछमन राम बावरी
27. संतरा पुत्री बालूराम बावरी निवासीगण धनकोली तहसील मौलासर

प्रार्थना पत्र बाबत्

रास्ता अंकन करने हेतु
अन्तर्गत धारा– 131, 132 L.R.Act.,

उपस्थिति :–

1. तहसीलदार मौलासर पैरोकार सरकार
2. श्री मो. रफीक वकील अप्रार्थी संख्या 1, 9, 5, 4, 8 की ओर से
3. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील अप्रार्थी संख्या 7, 6, 18 के वारिसान की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.05.2026**

तहसीलदार मौलासर ने रास्तों संबंधी समस्याओं के निस्तारण हेतु राजस्व अभिलेख में रास्तों का अंकन करने हेतु भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 व नियम 58,59,60,66,86 के तहत नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर परिशिष्ट ए में वर्णित अनुसार भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकित करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	ख. नं.	कुल रकबा (है. में)	भूमि की किस्म	प्रस्तावित रकबा (है. में)	रास्ते के उपयोग हेतु प्रभावित रकबा रास्ते में दर्ज किया जाना है या सडक में	उक्त रासता खातेदारी स्वामित्व का है या सरकारी
1	रिक्शा बास	12	29.47	चाही 3	0.63	गै.मु.रास्ता	खातेदारी
2		19	4.67	बारानी 1	0.16	गै.मु.रास्ता	खातेदारी
3		171	2.43	बारानी 1	0.12	गै.मु.रास्ता	खातेदारी
4		169	1.01	बारानी 1	0.09	गै.मु.रास्ता	खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्ताव पर सहमत पक्षकारान् के हस्ताक्षर करवाये गये सहमत पक्षकरान् की प्रकरण में सहमति स्वीकार की जाती है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 9, 5, 4, 8 की ओर से अधिवक्ता मो. रफीक ने वकालत नामा पेश किया। जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 7, 6, 18 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया एवं सीधी बहस करना चाहा। अप्रार्थी संख्या 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 25 ने तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रास्ते के प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने पर एक तरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि उक्त वर्णित रास्ता वर्तमान में चलायमान है जिसका राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है रास्ते का अंकन होने से आमजन की समस्याओं का समाधान होगा। अतः उक्त चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड अंकित किया जावे। प्रतिउत्तर में अप्रार्थी अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। उक्त भूमियां राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी स्वामित्व में किस्म बारानी प्रथम में दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु मौके पर वर्षों से उक्त भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में हो रहा है, आमजन के आवागमन के उपयोग में आ रही है। इस संबंध में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 (1) में परिभाषित है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 के द्वारा धारा 131,132,136 की शक्तियों के अधीन है, तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की अध्याय 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य से सम्बन्धित है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 में मानचित्र एवं फिल्डबुक का संधारण व धारा 132 वार्षिक रजिस्ट्रारों में संधारण का प्रावधान है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें मे चालू रास्ते के राजस्व रिकॉर्ड के अंकन का निवेदन किया गया है जिस संदर्भ में नियम 56 गश्त गिरदावरी नियम 59 नक्शे के संबंध में, नियम 60 नक्शे में दुरस्ती के संबंध में नियम 66 खेतों के विभाजन के संबंध में व नियम 86 में भूमि का वर्ग परिवर्तन का प्रावधान है। तहसीलदार मौलासर ने निवेदन किया है, नक्शा ट्रेस के अवलोकन के अनुसार भी उक्त भूमि की आकृति रास्तेनुमा ही है, तहसीलदार मौलासर के अनुसार उक्त भूमियों का पिछले कई वर्षों से रास्ते के रूप में ही उपयोग हो रहा है, तथा आमजनता के आवागमन के उपयोग में आ रही है तथा वर्तमान में भी मौके पर रास्ता संचालित हो रहा है व सुगम है। अतः तहसीलदार मौलासर ने उक्त आराजी में आपसी आवागमन हेतु सुविधा एवं नियमानुसार उक्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शा ट्रेस में रास्ता अंकन करने की अनुशंषा की है, एवं जिससे तहसीलदार मौलासर डीडवाना की अभिशंषा के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मौलासर को आदेश दिया जाता है कि :–

–:आदेश :–

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 व राजस्व लैण्ड रिकॉर्ड नियम 195 के नियम 58,59,60,66,86 के तहत एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

के परिपत्र क्रमांक–प.3 (2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में खसरा नम्बरान–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	ख. नं.	कुल रकबा (है. में)	भूमि की किस्म	प्रस्तावित रकबा (है. में)	रास्ते के उपयोग हेतु प्रभावित रकबा रास्ते में दर्ज किया जाना है या सडक में	उक्त रासता खातेदारी स्वामित्व का है या सरकारी
1	रिक्शा बास	12	29.47	चाही 3	0.63	गै.मु.रास्ता	खातेदारी
2		19	4.67	बारानी 1	0.16	गै.मु.रास्ता	खातेदारी
3		171	2.43	बारानी 1	0.12	गै.मु.रास्ता	खातेदारी
4		169	1.01	बारानी 1	0.09	गै.मु.रास्ता	खातेदारी

में से गै०मु०रास्ते प्रस्तावित रकबा खातेदार की खातेदारी में से कम कर गै० मु०रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर तरमीम किया जावे। उक्त रकबे को स्वामित्व खातेदारी में रहेगा एवं उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार मौलासर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.05.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना